

17/3/2021

पञ्जवली चैत्र हरी अखिलता वारीगल  
 अनुपालित। आदेशिका 13/5/2019, 29/7/19,  
 20/9/2019 एवं 16/12/2020 अनुपालित  
 की नलकी हेतु नोटीस भी प्रस्तुत नहीं किए  
 गए। आवाज लावते रहे। अखिलता  
 वारीगल एवं वारीगल स्वयं उपस्थित  
 नहीं हुए। अतः प्रमाण अदम्य हलका, अदम्य  
 पेशी एवं अदेश 09 नियम 02 जाकी  
 के लक्षण रकारीता किमा जात है। पञ्जवली  
 किमा शुमार होकर नम्बर से काम हो।

2017  
 00250

विशेष न्यायिक। न्यायिक अदालत। हेतु नलकी किमा

न्यायिक अदालत / नलकी / न्यायिक अदालत



(श्याम सुन्दर विश्वाई)  
 महायुक्त कलेक्टर एवं  
 उपखण्ड अधिकारी  
 चित्तौड़गढ़ (राज.)

दिनांक 17/3/2021